ग्रामीण–शहरी पलायन का आदिवासी युवाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

[1]सुषमा देवांगन, [2]डॉ. श्वेता देवांगन

[1]शोधार्थी, [2]पर्यवेक्षक

[1–2]विभागः कॉमर्स, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ

सार

बस्तर क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को ऐतिहासिक हाशिए पर धकेलने, भौगोलिक अलगाव, और कम मानव पूंजी निवेश के कारण कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, आय असुरक्षा, औपचारिक रोजगार तक सीमित पहुंच, और अवसंरचना संबंधी कमियाँ उनके आर्थिक सशक्तिकरण में बड़ी बाधाएँ बनती हैं। यह अध्ययन बस्तर में आदिवासी युवाओं की आर्थिक स्थिति, गरीबी, और रोजगार अवसरों की कमी को समझने का प्रयास करता है। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि सरकारी कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता कैसे सीमित है, और कैसे हाशिए पर पड़े युवाओं के लिए इन योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यह शोध आदिवासी युवाओं के लिए आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों और नीतियों का प्रस्ताव करता है।

मुख्य शब्दः आदिवासी युवा, बस्तर, आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबी और आय असुरक्षा, औपचारिक रोजगार, कौशल विकास, क्षेत्रीय पिछड़ापन, अवसंरचना संबंधी कमियाँ।

परिचयः

बस्तर क्षेत्र के आदिवासी युवाओं के सामने आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया कई संरचनात्मक बाधाओं से जूझती है। भौगोलिक अलगाव, कम मानव पूंजी निवेश और सीमित बाजारों के साथ एकीकरण न केवल उनके जीवन स्तर को प्रभावित करता है, बल्कि उनके लिए स्थिर रोजगार की तलाश में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इन युवाओं का एक बड़ा हिस्सा गैर–लकड़ी वन उत्पादों और कृषि पर निर्भर रहता है, जिसके परिणामस्वरूप आय असुरक्षित और अनियमित होती है। इसके अलावा, औपचारिक रोजगार तक पहुंच की कमी, कम कौशल स्तर, और वित्तीय समावेशन का अभाव आदिवासी युवाओं के आर्थिक विकास की राह में प्रमुख बाधाएँ हैं। यह अध्ययन इन समस्याओं के कारणों को समझने और इसके समाधान के लिए संभावित उपायों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

बस्तर में आदिवासी युवाओं की आर्थिक समस्याएँ

बस्तर में आदिवासी युवाओं को ऐतिहासिक हाशिए पर धकेलने, भौगोलिक अलगाव, कम मानव पूंजी निवेश और व्यापक बाजारों के साथ सीमित एकीकरण के कारण कई परस्पर जुड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन संरचनात्मक बाधाओं ने उन युवाओं के लिए गरीबी और बहिष्कार के दुष्चक्र को कायम रखा है जो पारंपरिक जीवन निर्वाह गतिविधियों से परे स्थिर आजीविका की तलाश में हैं (कासी और साहा, 2021)।

गरीबी और आय असुरक्षा

बस्तर में आदिवासी युवाओं के लिए गरीबी एक प्रमुख आर्थिक चुनौती बनी हुई है। आदिवासी परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्वाह कृषि और मौसमी वन उपज संग्रहण पर निर्भर है, जिससे आय कम और अनियमित होती है। उदाहरण के लिए, कम उपजाऊ मिट्टी और सीमित सिंचाई क्षमता वाले छोटे भू–भाग कृषि उत्पादकता को सीमित करते हैं, जिससे परिवारों के लिए केवल खेती से पर्याप्त आय अर्जित करना मुश्किल हो जाता है। इमली, महुआ और साल के बीज जैसे गैर–लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) से होने वाली आय – हालांकि व्यापक रूप से उपलब्ध है – भी अनिश्चित है। खरीद अक्सर अनियमित स्थानीय बाजारों और बिचौलियों के माध्यम से होती है, जिसका अर्थ है कि अंतिम बिक्री मूल्य का केवल एक अंश ही संग्रहणकर्ताओं

तक पहुंचता है, जिससे आय की असुरक्षा और बढ़ जाती है। इसके अलावा, वन अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी और कमजोर मूल्यवर्धन आदिवासी समुदायों की इन संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग करके उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करते हैं (देबेबे और जेकारियास, 2020)।
आदिवासी युवाओं में गरीबी और आय असुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- **खंडित भूमि जोत:** छोटे भूखंड पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करते हैं और फसल विविधता को सीमित करते हैं।
- **मौसमी निर्भरता:** अधिकांश कृषि और वन–आधारित कार्य चक्रीय होते हैं, जिसके कारण आय में उतार–चढ़ाव होता है।
- **सीमित बाजार पहुंच:** दूरस्थ स्थान और खराब बुनियादी ढांचा गैर–वन उत्पाद (एनटीएफपी) और कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री को सीमित करते हैं।
- **वित्तीय समावेशन का अभाव:** ऋण, बीमा या सरकारी योजनाओं तक सीमित पहुंच झटकों से निपटने की क्षमता को कम करती है।
- **निम्न कौशल स्तर:** अपर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण आदिवासी युवाओं को अधिक वेतन वाली नौकरियों या उद्यमिता में शामिल होने से रोकता है।

गरीबी की निरंतरता न केवल वर्तमान उपभोग को कमजोर करती है, बल्कि आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करने की क्षमता को भी सीमित करती है–जो बेहतर रोजगार के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। यह बढ़ती हुई अभावग्रस्तता गहरी आय असुरक्षा और सीमित आर्थिक गतिशीलता को जन्म देती है, जिससे आदिवासी समुदायों में हाशिए पर रहने का दुष्चक्र चलता रहता है।

औपचारिक रोजगार तक सीमित पहुंच

बस्तर में औपचारिक रोजगार के अवसर क्षेत्र के सीमित औद्योगिक विविधीकरण, अविकसित बुनियादी ढांचे और कमजोर स्थानीय श्रम बाजारों के कारण बेहद कम हैं। जिले की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि, गैर–लकड़ी वन उत्पादों के संग्रहण और अनौपचारिक कुटीर उद्योगों पर निर्भर है, और बहुत कम संगठित क्षेत्र नियमित रोजगार, दीर्घकालिक अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं (लोपेज–रुइज एट अल, 2015)। इस संरचनात्मक सीमा का अर्थ यह है कि रोजगार के अवसर मौजूद होने पर भी, वे अक्सर कुछ शहरी या अर्ध–शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश आदिवासी युवा कम वेतन वाले, अनौपचारिक और मौसमी कामों पर निर्भर रहते हैं।
औपचारिक रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाले प्रमुख कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं–

- **कौशल बेमेल:** कई आदिवासी युवाओं में विनिर्माण, आतिथ्य सत्कार या आईटी सेवाओं जैसे औपचारिक क्षेत्र के उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण की कमी है (मैकगिनीस एट अल., 2018)।
- **शैक्षिक बाधाएँ:** दूरस्थ गांवों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सीमित पहुंच के कारण न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता वाले सरकारी या निजी क्षेत्र के रोजगारों के लिए पात्रता कम हो जाती है।
- **भौगोलिक अलगाव:** खराब सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन की कमी और असमान डिजिटल कनेक्टिविटी रोजगार केंद्रों तक युवाओं की गतिशीलता को सीमित करती है।

- **सूचना विषमता:** जनजातीय क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रचार और संचार के कारण कई युवा रोजगार के अवसरों, सरकारी योजनाओं या कौशल विकास कार्यक्रमों से अनभिज्ञ रह जाते हैं।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जैसी राज्य–स्तरीय पहलों ने 90,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर और उन्हें औपचारिक रोजगार में लगाकर इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है। हालांकि, बस्तर के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में कार्यक्रम की पहुंच असमान बनी हुई है, और कई दूरस्थ गांव अभी भी इससे वंचित हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षित युवाओं में भी रोजगार के परिणाम भाषा संबंधी बाधाओं, पूर्व कार्य अनुभव की कमी और औपचारिक कार्यस्थलों में आवश्यक सांस्कृतिक समायोजन के कारण काफी भिन्न होते हैं, जहां अक्सर शहरी पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका परिणाम यह है कि उपलब्ध कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के बीच एक निरंतर असंतुलन बना रहता है, जो आदिवासी युवाओं के बीच अल्प–रोजगार, पलायन और अनौपचारिक काम के चक्र को बढ़ावा देता है। कई युवा कम वेतन वाली दिहाड़ी मजदूरी या मौसमी काम करते हैं, जिससे उनकी दीर्घकालिक आय क्षमता सीमित हो जाती है और आर्थिक बहिष्कार और भी बढ़ जाता है।

क्षेत्रीय पिछड़ापन और अवसंरचना संबंधी कमियाँ

बस्तर में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण क्षेत्रीय पिछड़ापन आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में और बाधा डालता है। दूरदराज के गांवों में खराब सड़क नेटवर्क, अनियमित बिजली आपूर्ति, कमजोर डिजिटल कनेक्टिविटी और बाजारों एवं सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसी समस्याएं हैं। ये कमियां न केवल आर्थिक गतिविधियों को बाधित करती हैं, बल्कि युवाओं के लिए आस–पास के शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचना भी मुश्किल बना देती हैं। कई आदिवासी गांवों में शैक्षिक बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है, स्कूलों में अक्सर पर्याप्त शिक्षक या सुलभ सुविधाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण आदिवासी युवाओं में उच्च ड्रॉपआउट दर और निम्न शैक्षिक उपलब्धि देखी जाती है। बुनियादी शिक्षा और बुनियादी ढांचे के समर्थन के बिना, कौशल विकास कार्यक्रम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते और रोजगार के अवसर सीमित रहते हैं।

विकास पहलों को लागू करने के बावजूद, असमान कार्यान्वयन और कमजोर अग्र/पिछड़ा संबंध–जैसे कि वन उत्पादों के लिए अपर्याप्त भंडारण और बाजार तक पहुंच का अभाव–आय वृद्धि और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के अवसरों को बाधित करते हैं। बुनियादी ढांचे की ये प्रणालीगत कमियां भारत के अधिक जुड़े और औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में बस्तर के आर्थिक अलगाव को और बढ़ाती हैं।

मौसमी और अनौपचारिक कार्य का प्रभाव

बस्तर में काम का अनौपचारिक और मौसमी स्वरूप आदिवासी युवाओं की आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे लगातार आय अस्थिरता बनी रहती है और दीर्घकालिक आजीविका की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मौसमी कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत है, जिनका काम खरीफ और रबी फसल चक्रों से जुड़ा होता है, या वे वन आधारित आजीविका में लगे रहते हैं, जैसे कि तेंदू के पत्ते, महुआ के फूल, साल के बीज, शहद और औषधीय पौधे जैसे गैर–लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) एकत्र करना। हालांकि ये गतिविधियां जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक आय प्रदान करती हैं, लेकिन आय अत्यधिक अनियमित होती है और मानसून के पैटर्न, फसल की पैदावार और वन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार व्यापक रूप से घटती–बढ़ती रहती है, जो पारिस्थितिक परिवर्तनों और वनों की कटाई से तेजी से खतरे में हैं। इसके अलावा, एनटीएफपी की बिक्री अक्सर स्थानीय बिचौलियों या अनियमित बाजारों के माध्यम से होती है, जिसका अर्थ है कि आदिवासी युवाओं को आमतौर पर कुल बाजार मूल्य का केवल एक छोटा

सा हिस्सा ही प्राप्त होता है, जिससे आय असुरक्षा और भी बढ़ जाती है। कृषि और वन कार्य के अलावा, कई आदिवासी युवा दिहाड़ी मजदूरी, या हथकरघा बुनाई, टेराकोटा शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे असंगठित कुटीर उद्योगों में भी लगे हुए हैं। ये व्यवसाय सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करते हैं, लेकिन ये अत्यधिक मौसमी और बाजार की मांग पर निर्भर हैं, जिससे इनमें नौकरी की सुरक्षा, औपचारिक अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। इन व्यवसायों की अनिश्चित प्रकृति का युवा विकास पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। पहला, अनियमित आय युवाओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल या कौशल विकास पहलों में निवेश करने की क्षमता को सीमित करती है, जिससे औपचारिक रोजगार क्षेत्रों में जाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है (बोएल्स, 2016)। दूसरा, औपचारिक श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण आदिवासी युवा शोषण और आर्थिक झटकों, जैसे फसल खराब होना, प्राकृतिक आपदाएं या बाजार मूल्यों में अचानक गिरावट, के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह संवेदनशीलता अक्सर युवाओं को आय की तलाश में मौसमी रूप से शहरी केंद्रों या आस–पास के कृषि क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर करती है, जहां उन्हें अक्सर कम मजदूरी, अपर्याप्त आवास और शोषणकारी कार्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हाशिए पर रहने का चक्र और भी मजबूत हो जाता है। तीसरा, अनौपचारिक और कम कौशल वाले कामों का प्रभुत्व युवाओं को ऐसे व्यवसायों में फंसा देता है जिनमें करियर की प्रगति, उद्यमशीलता में भागीदारी या संरचित आर्थिक क्षेत्रों में एकीकरण की सीमित संभावनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समग्र मानव पूंजी का संचय कम होता है और अंतरपीढ़ीगत गरीबी बनी रहती है।

मौसमी और अनौपचारिक काम पर निर्भरता के व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं। आर्थिक अस्थिरता के कारण देर से विवाह, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच और परिवारों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है। आय और रोजगार की संभावनाओं को लेकर अनिश्चितता के कारण युवाओं को अक्सर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वे औपचारिक शिक्षा या कौशल विकास कार्यक्रमों से विमुख हो सकते हैं। नियमित काम और स्थिर वेतन की कमी सरकारी हस्तक्षेपों, जैसे मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, की प्रभावशीलता को भी कम करती है, क्योंकि भौगोलिक अलगाव या तत्काल आय अर्जित करने की आवश्यकता के कारण युवा पूरी तरह से भाग लेने में असमर्थ हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, हालांकि इस क्षेत्र के युवाओं में उत्पादकता और उद्यमिता की अपार क्षमता है, मौसमी और अनौपचारिक काम पर संरचनात्मक निर्भरता उन्हें इन अवसरों का लाभ उठाने से रोकती है, जिससे बस्तर की आदिवासी आबादी की आर्थिक क्षमता का बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हो पाता और गरीबी और हाशिए पर रहने का दुष्चक्र और भी मजबूत होता है।

भारत में कौशल विकास योजनाओं की अवधारणा और विकास

भारत में कौशल विकास पिछले दो दशकों में संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों, जनसांख्यिकीय दबावों और कार्यबल को उद्योग–प्रासंगिक दक्षताओं से लैस करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप एक प्रमुख नीति और विकास प्राथमिकता के रूप में उभरा है। परंपरागत रूप से, भारत में कौशल प्रशिक्षण विभिन्न मंत्रालयों और कार्यक्रमों में बिखरा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप योजनाएँ अतिव्यापी थीं, मानक असंगत थे और रोजगार परिणामों से इसका सीमित संबंध था। इन कमियों को पहचानते हुए, भारत सरकार ने सतत आजीविका और समावेशी विकास पर जोर देते हुए, विभिन्न क्षेत्रों, प्रदेशों और जनसंख्याओं में कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत करने, उसका विस्तार करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक व्यापक, मिशन–उन्मुख नीतिगत ढांचा शुरू किया।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति ढांचा

भारत में कौशल विकास की नीतिगत नींव कई रणनीतिक पहलों के माध्यम से रखी गई, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) और बाद के राष्ट्रीय नीतिगत उपकरणों को औपचारिक रूप दिया गया। जुलाई 2015 में अनुमोदित एनएसडीएम ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग हितधारकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों का समन्वय किया जा सके। मिशन का उद्देश्य कौशल विकास प्रयासों को तेजी से बढ़ाना और उन्हें श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप ढालना था ताकि रोजगार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके (सुंग एट अल., 2000)। इस ढांचे के तहत, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) पेश किया गया, ताकि विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कौशल को परिभाषित और मान्यता देने के लिए एक मानकीकृत, योग्यता–आधारित प्रणाली प्रदान की जा सके, जिससे श्रम बाजार में गुणवत्ता आश्वासन और गतिशीलता को सुगम बनाया जा सके (टेस्टबुक, एनडी)।

कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीएसडीई), 2015 को कार्यबल के कौशल विकास, उन्नयन एवं पुनः कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए एक समग्र रणनीति प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस नीति का उद्देश्य कौशल विकास को शिक्षा, उद्योग की आवश्यकताओं और रोजगार परिणामों के साथ एकीकृत करना था, जिससे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके जो 'आजीवन अधिगम' को बढ़ावा दे सके और यह सुनिश्चित कर सके कि भारत की मानव पूंजी तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा कर सके। इसके प्रमुख तत्वों में संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और मान्यता एवं प्रमाणन ढांचों के माध्यम से गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना शामिल था।

हाशिए पर स्थित समूहों के लिए कौशल विकास के उद्देश्य

भारत के कौशल विकास ढांचे का एक प्रमुख उद्देश्य हाशिए पर पड़े और वंचित समूहों को शामिल करना रहा है, यह मानते हुए कि सतत विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को विपणन योग्य कौशल से लैस करना आवश्यक है। यह नीति उन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है जो हाशिए पर पड़े युवाओं – जिनमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं – को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों तक पहुँचने से रोकती हैं। कौशल भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से, वंचित आबादी के बीच रोजगार क्षमता और उद्यमिता क्षमता दोनों को बेहतर बनाने के लिए लक्षित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। इन पहलों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया हैः हाशिए पर पड़े युवाओं की श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ाना, प्रशिक्षण को नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर कौशल अंतर को कम करना, कौशल विकास कार्यक्रमों में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण से औपचारिक और स्वरोजगार के रास्तों में सुगम संक्रमण को सुगम बनाना। शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों और उद्योग हितधारकों के साथ साझेदारी कमजोर समूहों के लिए पहुंच को व्यापक बनाने और प्रासंगिकता में सुधार करने में सहायक होती है (गुप्ता एट अल., 2021)।

एमएसडीई और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयू) जैसे संस्थानों के बीच हालिया साझेदारियां उन प्रयासों को दर्शाती हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों, महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों सहित वंचित क्षेत्रों और आबादी तक कौशल प्रशिक्षण अवसंरचना का विस्तार करना है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा के मार्गों और रोजगार सहायता के साथ एकीकृत किया गया है। यह व्यापक दृष्टिकोण समावेशी कौशल सशक्तिकरण के प्रति नीति की प्रतिबद्धता को रेखांकित

करता है, जो भूगोल, लिंग या सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को सीमित करता है।

निष्कर्ष

बस्तर में आदिवासी युवाओं की आर्थिक चुनौतियाँ एक जटिल समस्या है, जिसमें गरीबी, आय असुरक्षा, और औपचारिक रोजगार तक सीमित पहुंच प्रमुख कारक हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है, साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। सरकारी योजनाओं की असमान पहुंच और जानकारी की कमी के कारण युवाओं के लिए इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार को इन योजनाओं को स्थानीय संदर्भ में लागू करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उपायों की आवश्यकता है।

संदर्भ

- ✓ बेदारकर, एम., कुकनोर, एस., और गोपालकृष्णन, एस. (2025)। लक्षित कौशल विकास के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं का अनुकूलनः एक रणनीतिक और विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य से अंतर्दृष्टि। उच्च शिक्षा कौशल और कार्य–आधारित शिक्षा, 15(6), 1165–1182।
- ✓ बिस्वाल, पी., और साहू, सी.के. (2023)। स्वदेशी आबादी के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमः एक व्यवस्थित समीक्षा। औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रशिक्षण, 55(4), 493–508।
- ✓ चांग, एक्स. (2025). प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा प्रमुखों में सतत क्षमता विकास के लिए रणनीतियाँः संस्थागत और गैर–संस्थागत बाधाओं में एक गुणात्मक जांच। थिंकिंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, 59, 101971.
- ✓ चौधरी, एके, डियाज, जे., जयरात्ने, के., और अस्सन, ई. (2019). अनौपचारिक शिक्षा संदर्भ में मूल्यांकन क्षमता निर्माणः चुनौतियाँ और रणनीतियाँ। मूल्यांकन और कार्यक्रम योजना, 79, 101768
- ✓ धीमन, डी., और सोल्खे, ए. (2025). कौशल को आकार देनाः भारत की विकसित होती कौशल विकास नीतियों में एक गुणात्मक विश्लेषण। विकास नीति समीक्षा, 43(3)।
- ✓ ईवा, के.डब्ल्यू., बोर्डेज, जी., कैम्पबेल, सी., गैलब्रेथ, आर., गिन्सबर्ग, एस., होल्मबो, ई., और रेगेहर, जी. (2015)। स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम की ओरः प्रशिक्षण से अभ्यास तक। स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा में प्रगति, 21(4), 897–913।
- ✓ फोर्ड, जे.के., और व्रोतेन, एस.पी. (1984)। प्रशिक्षण मूल्यांकन करने और प्रशिक्षण मूल्यांकन को कार्यक्रम पुनर्रचना से जोड़ने के लिए नई विधियों का परिचय। कार्मिक मनोविज्ञान, 37(4), 651–665।
- ✓ गैलपोर्ट, एन., और अजम, टी. (2016). मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण आवश्यकताएँ और योग्यताएँ। अमेरिकन जर्नल ऑफ इवैल्यूएशन, 38(1), 80–100